

रिपोर्ट पटवार दंड नगराना

श्रीमानजी,

प्रार्थी राकेश कुमार S/o भागीरथ राव प्रान्त प्रार्थी
पत्र न श्रीमान तटलीलवार (राजस्थान) संगरिया के
आदेशानुसार पटवार रिमंड की जांच करने पर
पाया कि प्रार्थी राकेश कुमार ने ई.नं. 684 के तहत
0.380 हे. भूमि जगदीश पुत्र मुखराम लेखरीद
शुदा हो लेकिन प्रार्थी राकेश का हिस्सा ई.नं.
697 के आया. आदेश से छूटा है. और
~~शेष~~ वर्तमान में उम्ह रकबा खाता नं. 37
में दर्ज कुल रकबा 0.506 हे में से 0.380 हे
जगदीश पुत्र मुखराम व 0.126 हे शेषमाश
पुत्र जगदीश पाट्टी-पाट्ट (न. नगराना) के नाम
दर्ज है.


रिपोर्ट श्रीमानजी को तार उचित है.

योग
20/06/23
पटवारी नगराना

Tdn

मु.नं 233/2023

वाद के विचारण के दौरान प्रतिवादी
नं. ① द्वारा 0.380 हे. भूमि
राकेश कुमार S/o भागीरथ की बेवनामा
निष्पादन कावानी पर खाता नं. 34/26 (2070-2073) में राकेश कुमार
पुत्र भागीरथ के नाम में दर्ज प्रविष्टि;
जो वर्तमान जमाबंदी में वाद की
डिफ के निष्पादन के फलस्वरूप या
Online POR Segregation के कारण
उक्त प्रविष्टि निलेखित है, युकी है;
पुनः राकेश कुमार S/o भागीरथ के
नाम 0.380 हे. दर्ज हिस्से कले
के आदेश दिनांक 20/6/23



प्रजासुखियों के संग अभियान
शिविर मार्च (SDP)
2023